रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-674/2018/1236/22-2-2018-17(171)/2018

लखनऊ: दिनांक: 27 सितम्बर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2,1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जिला कारागार, सीतापुर** के सिद्धदोष **बन्दी जगदम्बा प्रसाद (बन्दी संख्या-273/2017) पुत्र स्व0 जगन्नाथ प्रसाद, निवासी-ग्राम-मनौना, थाना-रामपुर कला, जिला-सीतापुर,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-118/1970** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-147, 302/149, 323/149 व 324/149** के अधीन मा0 सत्र न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा **दिनांक 28-11-1970** को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.1973 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 29-05-2018 तक काटी गयी 10 वर्ष 04 माह 03 दिन की अपरिहार तथा 14 वर्ष 06 माह 07 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को **जिला मजिस्ट्रेट**, **सीतापुर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह

विशेष सचिव।

संख्या-674/2018/1236(1)/22-2-2018 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

3- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in